सामान्य कुशलता-आधृत आव्रजन (General Skilled Migration) में हाल में किए गए परिवर्तन

वर्तमान और भूतपूर्व छात्र-वीज़ा धारकों के लिए सूचना

फरवरी 2010 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने कुशलता-आधृत आव्रजन कार्यक्रम में कई परिवर्तनों की घोषणा की। इन परिवर्तनों में माइग्रेशन ऑक्युपेशन इन डिमांड लिस्ट (Migration Occupation in Demand List) को रद्द करना और एक नई स्किल्ड ऑक्युपेशन लिस्ट (Skilled Occupation List) को जारी करना शामिल था।

यह परिवर्तन पहले के समय पर लागू नहीं थे। यदि किसी व्यक्ति ने परिवर्तनों की घोषणा से पहले सामान्य कुशलता-आधृत आव्रजन वीज़ा के लिए आवेदन किया था, तो उसका आँकलन पुरानी स्किल्ड ऑक्युपेशन लिस्ट के आधार पर किया जाएगा।

इन परिवर्तनों में उदार पारगमन प्रबंधन (transitional arrangements) शामिल थे और इन्हें वर्तमान व भूतपूर्व विद्यार्थियों के लिए लागू किया गया है। ये पारगमन प्रबंधन 2012 के आखिर तक लागू होंगे।

- ये 8 फरवरी 2010 को टेम्परी स्किल्ड ग्रैजुएट वीज़ा (सबक्लास 485) [Temporary Skilled Graduate visa (subclass 485)] के धारकों या इस वीज़ा का आवेदन करने वाले व्यक्तियों को पुरानी स्किल्ड ऑक्युपेशन लिस्ट के आधार पर स्थाई सामान्य कुशलता-आधृत आव्रजन के लिए आवेदन करने की अनुमति देते हैं।

- ये 8 फरवरी 2010 को परिवर्तनों की घोषणा के दिन किसी पात्र छात्र-वीज़ा धारक को पुरानी स्किल्ड ऑक्युपेशन लिस्ट के आधार पर टेम्परी स्किल्ड ग्रैजुएट वीज़ा (सबक्लास 485) के लिए आवेदन करने की अनुमति भी देते हैं। पात्र छात्र वीज़ा सबक्लास 572, 573 और 574 हैं।

टेम्परी स्किल्ड ग्रैजुएट वीज़ा (सबक्लास 485) 18 महीनों के लिए रुके रहने का समय और वीज़ा धारक को ऑस्ट्रेलिया में काम या पढ़ाई करने की अनुमति प्रदान करता है।

ये प्रबंधन वर्तमान और भूतपूर्व विद्यार्थियों को अन्य प्रकार के वीज़ाओं के विकल्प देखने-समझने के लिए समय देते हैं। कुशलता-आधृत आव्रजन के अतिरिक्त, वीज़ा के अन्य विकल्प कार्य-नियोक्ता या राज्य/ क्षेत्र के प्रायोजन से उपलब्ध हैं। अन्य प्रकार के वीज़ाओं के बारे में जानकारी विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
देखें: www.immi.gov.au/skilled/skilled-workers/visa-options.htm

यह जानना महत्वपूर्ण है कि हालाँकि वीज़ा के अन्य विकल्प उपलब्ध हैं, परंतु भविष्य में आगे कोई वीज़ा प्राप्त करना सुनिश्चित नहीं होता है। आगे के लिए वीज़ा जारी किया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति-विशेष आवेदक अपने आवेदन के समय उस वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है या नहीं।

इन परिवर्तनों और लागू पारगमन प्रबंधनों के बारे में जानकारी आव्रजन और नागरिकता विभाग (Department of Immigration and Citizenship) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
देखें: www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/whats-new.htm

परिवर्तनों के बारे में पूछ-ताछ के लिए एक पूछ-ताछ लाइन 1300 735 683 भी स्थापित की गई है। अगर आप इस समय ऑस्ट्रेलिया में हों और आपको इन परिवर्तनों के बारे में विभाग के साथ चर्चा करने के लिए सहायता की आवश्यकता हो, तो अनुवाद और दुभाषिया सेवा (TIS National) गैर-अँग्रेज़ी भाषी व्यक्तियों को विभाग के साथ बात-चीत करने में सहायता देने के लिए दुभाषिया सेवाएँ उपलब्ध कराती है।

फोन पर दुभाषिये का प्रयोग करने के लिए।

टेलीफोन: 131 450

जुलाई 2010